न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 182/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामचन्द्र पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी ग्राम फिडोद तहसील मुण्डवा		1 तहसीलदार मुण्डवा 2 भू अभिलेख निरीक्षक, खरनाल तहसील मुण्डवा 3 पटवारी हल्का फिडोद, जिला नागौर 4 रायचंद पुत्र रेकर्ड में गलत दर्ज बुधाराम गोद पुत्र देराजराम व रूकमाई जाति जाट निवासी फिडोद 5 सीताराम पुत्र पूनाराम 6 हरीराम पुत्र पूनाराम जातियान जाट निवासीगण फिडोद तहसील मुण्डवा 7 सरजू पुत्री पूनाराम पत्नी मोहनराम जाति जाट हाल निवासी आठियासन तहसील व जिला नागौर। 8 कमला पुत्री पूनाराम पत्नी बस्तीराम जाति जाट हाल निवासी डिडियाकलां तहसील जायल 9 नेनी पुत्री पूनाराम पत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी बोडवा तहसील जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री अशोक वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।

दिनांक 07.11.2022

निर्णय

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील, मुण्डवा के ग्राम फिडोद के नामान्तरकरण सं. 1744 निर्णय दिनांक 20.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.06.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.07.2018 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से श्री अशोक वैष्णव अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 05 से 09 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 1744 की फोटोप्रति, हक तर्कनामा दिनांक 13.11.2017 तथा 20.11.2017 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि उक्त नामान्तरकरण प्रस्तावित करने के पश्चात व स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अपना पक्ष रखने हेतु नहीं दिया, न ही न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया व निर्णय की तारीख को भी अपीलांट उपस्थित नहीं था, न ही उसके बाद अपीलांट को कोई सूचना दी गयी, हाल ही में अपीलांट के अधिवक्ता ने पहले से ही विचाराधीन वाद के प्रकरण में आवश्यकता होने पर जमाबंदी की नकल की मांग की, तब अपीलांट ने खतौनी की प्रमाणित प्रति दिनांक 02.05.2018 को प्राप्त की व उसको देखने, पढने से तर्कनामा का तथ्य आधा अधूरा प्रकट हुआ, तब अपीलांट की ओर से तर्कनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने के लिए नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20.06.2018 को प्राप्त हुई, जिससे नामान्तरकरण की अपीलांट को जानकारी हुई व तारीख जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश है, जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– मौजूदा नामान्तरकरण में सहखातेदारों ने नामान्तरकरण से संबंधित खसरा के सम्पूर्ण रकबे पर सहखातेदारों में से किसी एक खातेदार के हक में तर्कनामा निष्पादन करना दर्ज किया है व उक्त तर्कनामा से निष्पादनकर्ता के सहखातेदारी के हक सीमा तक हक तर्क प्रभावी हुए है मगर उक्त तर्कनामा में दर्ज सहखातेदारी शेष तमाम सहखातेदारों में बराबर कानूनन निहित हो चुके है तथा ऐसे तर्कनामें की प्रकृति को देखते हुए नामान्तरकरण जैर अपील अनुचित व गैर कानूनी है व उक्त नामान्तरकरण अपीलीय क्षेत्राधिकार के जरिये संशोधित/परिवर्तित व निरस्त योग्य है तथा पुनः विधिनुसार नामान्तरकरण बाद सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णित करने हेतु पत्रावली तहसीलदार को प्रतिप्रेषित की जाने योग्य है।

{2}(II)– विवादित तर्कनामा में बहक रायचन्द्र दर्ज किया गया है एवं ऐसा दर्ज करने से रायचन्द्र अकेले के हक में निष्पादनकर्ता का हक निहित करने की गैर कानूनी इरादा जाहिर करता है व कोई भी तर्कनामा विधि विरूद्व निष्पादन व पंजियन नहीं किये जाने के प्रावधान है व उक्त आशय का दस्तावेज सहखातेदार विशेष के हक में दीगर सहखातेदार के विरूद्व प्रभावी नहीं हुआ है, न ही प्रभावी होने के प्रावधान है। इन परिस्थितियों में राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण सिद्वांत प्रतिपादित हो चुके है, जिनको ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार योग्य है।

{2}(III)–नामान्तरकरण में दर्ज खसरा नम्बर 588 व अन्य खसरान बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर, नागौर में राजस्व विधि अनुसार गठित न्यायालय में पहले से ही हक अधिकारों को लेकर करीब एक दशक से वाद विचाराधीन है और वाद के दौरान पूनाराम का देहान्त होने से उनके वारिसान के हक में नामान्तरकरण जिससे कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है, प्रस्तावित किया गया है, लेकिन तत्पश्चात हक तर्कनामा उपरोक्त के अनुसार नामान्तरकरण जैर अपील गैर कानूनी रूप से प्रस्तावित कर स्वीकार किया गया है, जिसकी त्रुटि का उल्लेख पूर्व आधार में दर्ज किया जा चुका है, साथ ही नामान्तरकरण से संबंधित खसरा के हक अधिकार के बारे में पहले से ही राजस्व वाद व प्रतिदावा विचाराधीन है। वाद व प्रतिदावा के अंतिम निस्तारण के बाद ही हक अधिकार बाबत अंतिम निर्णय प्रभावी होगा, इन परिस्थितियों में वाद के विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण जैर अपील जो एक फिसकल ऐन्ट्री है की जाने का कोई औचित्य नहीं है।

{2}(IV)–सहखातेदारान को नोटिस दिये बिना नामान्तरकरण प्रस्तावित व स्वीकार करने में त्रुटि की है व अपीलांट सहखातेदार होने से अपीलांट के हक प्रभावित होने से उपरोक्त परिस्थितियों में अपील स्वीकार योग्य है।

{2}(V)– हकत्याग का नामान्तरकरण भरा गया लेकिन व्यक्ति विशेष का नामान्तकरण नहीं भरा जा सकता। हक त्याग करने वाले को यह अधिकार नही है कि वह व्यक्ति विशेष के नाम नामान्तरकरण भरवा सके तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2014 (1) पेज 509 से 513 नजीर पेश की।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 04 के अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि रामचन्द्र के हक में हक त्याग करवाया। तर्कनामा सही है तो उसका नामान्तकरण कैसे गलत है। यदि आपत्ति है तो तर्कनामा को शून्य घोषित करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानो के तहत नामान्तरकरण भरा है। जो सही होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा फिडोद के नामान्तरकरण सं. 1744 दिनांक 20.01.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है एवं संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसील मुण्डवा के ग्राम फिडोद के नामान्तरकरण सं. 1744 आदेश दिनांक 20.01.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर